



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

दूरभाषा: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/2746371 (AO)/फैक्स-2749824

वेबसाइट-www.kvsrodehradun.org ई-मेल -ackvsroddr@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय)
Autonomous Body under Ministry of Human Resource Development
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग
REGIONAL OFFICE, DEHRADUN REGION
सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Salawala, Hathibarkala, Dehradun (UK)

F. 18061/CRC/2014- KVS (DDR)/Admn./ 4247

Dated: 31.07.2019

त्वरित डाक द्वारा


कार्यालय आदेश

सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली के पत्र संख्या फा. 11-55/2000-केविएस(सतर्कता)/पीटी-1/11212-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से प्रभावी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न शिकायतों के निपटान के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेशों का अधिक्रमण करते हुये केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के अधीन समस्त केन्द्रीय विद्यालयों हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0)/शिकायत निवारण समिति (सी0आर0सी0) का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | श्रीमती सुकृति रैवानी, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून | पीठासीन अधिकारी। |
| 2. | श्रीमती उमा एस0 चन्द्रा, प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, बीरपुर कैंप, देहरादून | सदस्य। |
| 3. | श्री विवेकानन्द बहुखण्डी, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून | सदस्य। |
| 4. | मिस नीरा नन्दा, 6, नगरपालिका रोड, देहरादून (दूरभाष- 2656900) (मोबाईल नम्बर- 9837731132) | एन0जी0ओ0 सदस्य। |

टिप्पणी:

1. पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।
2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा जिसमें कि गठित की गयी समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।
3. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।


(विनोद कुमार)
उपायुक्त (प्रभारी)

दितरण:

1. पीठासीन अधिकारी एवं सभी समिति के सदस्य।
2. अपर आयुक्त (प्रशा0), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली- सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा0), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली- सूचनार्थ।
4. उपायुक्त/निदेशक, के0वि0सं0, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक संस्थान- सूचनार्थ।
5. समस्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, देहरादून संभाग के अधीन - परिपत्र की विषयवस्तु दिनांकित पावती के साथ विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लायी जायें।
7. प्रशसनित अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग - परिपत्र की विषयवस्तु दिनांकित पावती के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लायी जायें।